मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 7749 एफ 1- //2021/ भोपाल, दिनांक 13 .07.2021

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय:- सिटिजन चार्टर **संबंधी ग्राम सभा दिनांक 22/07/2021 बाबत।**

संदर्भ:- **भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्ध0शा0 पत्र No. 19011 दिनांक 16 जून 2021**

-0-

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिटिजन चार्टर पर चर्चा कर सिटिजन चार्टर को अंतिम रूप देने हेतु प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभा का आयोजन दिनांक 22 /07/2021 से किया जाना है। ग्राम सभा की बैठक में सिटिजन चार्टर "मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार" अभियान पर चर्चा की जानी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के सिटिजन चार्टर को अंतिम रूप देने संबंधी निर्णय किया जाना है।

ग्राम सभा के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगें तथा जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित करेंगे।

ग्राम सभा शासन में लोगों की भागीदारी का एक मंच है। अत: ग्राम सभा में सदस्यों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले ग्राम सभा की सूचना दी जावे।

नोटिस में आवश्यक रूप से ग्राम सभा की तिथि, समय, स्थान और कार्य सूची का उल्लेख होना चाहिए। ग्राम सभा का एजेण्डा/कार्य सूची स्पष्ट और सरल भाषा में लिखी जाना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से समझ सके।

ग्राम विकास योजना तैयार करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के निवास क्षेत्रों में ग्राम सभा के संचालन की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

सिटिजन चार्टर के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझात्मक बिन्दुओं के आधार पर राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय कर सिटिजन चार्टर का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। जो कि पत्र के साथ संलग्न है। प्रस्तावित सेवाओं में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किये जाने हेतु ग्राम सभाओं में आवश्यक विचार-विमर्श किया जावे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित सेवाओं पर विस्तृत चर्चा की जावे तथा सेवाओं के वितरण के लिए समय-सीमा तय की जावे।

चूंकि सिटिजन चार्टर में प्राय: सभी विभागों से संबंधित विषय/सेवाएं शामिल हैं अत: यह नितांत आवश्यक है कि इसमें सभी लाइन विभाग की भागीदारी हो तथा इन विभागों के फील्ड स्तर के अधिकारियों की ग्राम सभा में उपस्थिति एवं सहभागिता रहे।

ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की जावे (भले ही वह मोबाईल रिकार्डिंग के माध्यम से हो) तथा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि ग्राम सभा के आयोजन में कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(उमाकांत उमराव)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पं.रा./एफ-1- /2021/7750 भोपाल, दिनांक 13.07.2021

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. विशेष सहायक, मान. राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0, भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत्।

संचालक,

पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0